न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/19 निर्णय दिनांकः– 20–01–2020

1. गवरादेवी पत्नी हनुमानराम जाति कुम्हार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।
2. भंवरलाल
3. दाऊदयाल
4. रामकिशन
5. रमेशकुमार
6. राधेश्याम
7. सुनीता
8. अनीता

पुत्र/पुत्रियॉ हनुमानराम पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी नापासर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 09–05–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री हरिकिशन उपाध्याय, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय दिनांक 09–05–2002 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि खारिज कर अन्य को आवंटित कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक

36–38 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 108/45 के किला नम्बर 11, 17 ता 20 में 5 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 15, 16, 21 ता 25 में 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 07–03–1992 को किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया तथा उक्त आवंटन की पालना में आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पर टिब्बे व काश्त योग्य नहीं होने के कारण अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा तबादलें में अन्यत्र भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08–04–1992 को चक 4 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 31/30 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 20 बीघा कमाण्ड का विनिमिय में आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के विरूद्व आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर में 22 (3) की कार्यवाही की गई जिसमें आवंटी का विनियम मं चक 4 जीडब्ल्यूएम का आवंटन खारिज कर दी गई एवं पूर्व आवंटन चक 36–38 सीडब्ल्यूबी बहाल करते हुए पत्रावली को रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का पूर्व आवंटन खारिज कर दिया गया। जबकि श्रीमान् आयुक्त महोदय द्वारा रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि आदेश पारित होने के दो माह की अवधि में आवंटी हनुमानप्रसाद हो भूमि आवंटन कर दी जावे।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 24–01–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट्स को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–05–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 24–01–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट्स के पिता/पति द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 07–03–1992 को अपीलांट्स के पति/पिता को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील कोलायत के चक 36–38 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 108/45 के किला नम्बर 11, 17 ता 20 में 5 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 15, 16, 21 ता 25 में 7 बीघा अनकमाण्ड भूमि बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि काश्त योग्य नहीं होने के कारण विनिमय में अपीलांट्स के पति/पिता को दिनांक 08–04–1992 को चक 4 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 31/30 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 20 बीघा कमाण्ड का विनिमिय में आवंटन किया गया। कालान्तर में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

द्वारा अपीलांट के विनियम में आवंटन को खारिज करते हुए पूर्व के आवंटन को बहाल कर दिया गया। दौराने अवधि उक्त भूमि अन्य को आवंटित कर दी गई। अपीलांट्स के पति/पिता को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के पति/पिता की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—05—2002 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20—01—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:20:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: